परिहवन निगम मुख्यालय
लखनऊ

परिपत्रसं0–1227एलएएस/15–121एलएएस/15 दिनांकः22 सितम्बर 2015

1– समस्त प्रधान प्रबन्धक परिवहन निगम मुख्यालय
2– प्रधान प्रबन्धक(के0का0कानपुर/डा0रा0म0लो0का0),
उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, कानपुर।

3– समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक
राज्य सड़क परिवहन निगम।

4– समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक डिपो
राज्य सड़क परिवहन निगम।

5–समस्त सहायक विधि अधिकारी/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(कार्मिक)
राज्य सड़क परिवहन निगम।

6–सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक,
परिवहन निगम, अजमेरी गेट,दिल्ली।

विषयः– <u>मा0 न्यायालयों में परिवहन निगम के वादों की पैरवी के सम्बन्ध में।</u>

मा0 न्यायालयों द्वारा पारित एवार्ड/निर्णयों का परीक्षण किये जाने पर प्रायः देखा जा रहा है कि वादों की सुचारू रूप से पैरवी नहीं की जा रही है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा भी याचिका संख्या–रिट(सी)23479/2015 क्षेत्रीय प्रबन्धक आगरा बनाम विनोद कुमार जैन में वादों की लचर पैरवी की स्थिति का संज्ञान लेते हुए निर्णय दिनांक 24.04.15 में निम्नवत् निर्देश दिये गये हैं :–

The U.P. State Road Transport Corporation is directed to take appropriate steps for proper pairvi of their cases before the labour courts or any other court of law or the statutory authority and for that purpose, the coporation may consider to take the policy decision fixing accountabulity of its offcials/employees on the line of the policy decision taken by another Corporation of the State Government, i.e., U.P. Power Corporation Ltd. as noted in the judgment of this court dated 15-04-2015 passed in Writ-C no.12861 of 2015, U.P. Power Corporation Ltd and other v. Sri salek Chand Mittal and another.

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये उक्त निर्देशों के अनुक्रम में वादों की पैरवी के सम्बन्ध में निम्नवत् नीति तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है।

1–सभी क्षेत्रीय प्रबन्धक यह सुनिश्चित करेंगें कि दिन प्रतिदिन न्यायालयों में सुनवाई हेतु सूचीबद्ध होने वाले वादों की सूचना से सम्बन्धित एक दैनिक पंजिका नीचे दिये गये प्रारूप के अनुसार विधि अनुभाग में रखी जाय।

क्र0सं0	पिछली तिथि	प्रयोजन	वाद संख्या एवं पक्षकार	न्यायालय का नाम	अधिवक्ता का नाम	पैरोकार का नाम	अगली तिथि	प्रयोजन	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

विधि अनुभाग का कार्य देख रहे सहायक विधि अधिकारी/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (कार्मिक) का दायित्व होगा कि दिन–प्रतिदिन दैनिक पंजिका का निरीक्षण करेंगें तथा दैनिक पंजिका के अनुसार ही वादों की पैरवी हेतु पैरोकारों को न्यायालय भेजेंगे। प्रत्येक माह के अन्त में क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा दैनिक पंजिका का अवलोकन किया जायेगा और क्षेत्र से सम्बन्धित नोडल अधिकारी का दायित्व होगा कि क्षेत्र के प्रत्येक भ्रमण पर विधि अनुभाग में रखी गयी दैनिक पंजिका का अनुश्रवण कर सुनिश्चित करेंगें कि दैनिक पंजिका के समस्त कालम अद्यतन भरे गये है अथवा नहीं और दैनिक पंजिका पर अपनी समीक्षात्मक आख्या अंकित करके तिथि सहित अपना हस्ताक्षर अंकित करेंगें। सम्बन्धित पैरोकार एवं अधिकारियों के वार्षिक कार्यो का मूल्यांकन करते हुए दैनिक पंजिका में की गई कार्यवाही को संज्ञान में रखा जायेगा।

क्रमशः.........2

U.K.S

2— विधि अनुभाग में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को सहायक विधि अधिकारी एवं उनकी अनुपस्थिति में विधि शाखा का कार्य देखने के लिए नामित अधिकारी द्वारा वादों की पैरवी हेतु नामित किया जायेगा। वादों की पैरवी के सम्बन्ध में यात्रा करने हेतु सहायक विधि अधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी। पैरवी से लौटने पर कृत कार्यवाही की सूचना दैनिक पंजिका में अंकित करने के साथ ही पत्रावली में अंकित कर उसे सहायक विधि अधिकारी को अवलोकित कराना अनिवार्य होगा। सहायक विधि अधिकारी विधि परामर्शदाता के निर्देशों के अन्तर्गत वादों की समुचित पैरवी सुनिश्चित करेंगें।

3— वाद/याचिका से सम्बन्धित प्रस्तरवार आख्या सहायक विधि अधिकारी की मांग पर यथा समय उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित प्रशासनिक अनुभाग का होगा। यदि 15 दिनों के अन्दर अथवा यथावश्यक उसके पूर्व सम्बन्धित अनुभाग प्रस्तरवार आख्या उपलब्ध कराने में विफल रहता है तो उक्त स्थिति से क्षेत्रीय प्रबन्धक को पत्रावली पर सहायक विधि अधिकारी द्वारा अवगत कराया जायेगा। यदि सहायक विधि अधिकारी द्वारा वस्तु स्थिति क्षेत्रीय प्रबन्धक के संज्ञान में लाये जाने के बावजूद भी प्रस्तरवार आख्या नही सुलभ हो पाती हैं, जिसके फलस्वरूप न्यायालय में निगम हित के विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है तो स्वयं क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं सम्बन्धित प्रशासनिक अनुभाग को उत्तरदायी माना जायेगा।

4— प्रस्तरवार आख्या प्राप्त होते ही प्रतिशपथपत्र/जवाबदावा तैयार किये जाने हेतु सहायक विधि अधिकारी के स्तर से अभिलेख अधिवक्ता को 07 दिनों के भीतर प्रेषित की जायेगी। जवाबदावा तैयार कराने हेतु सम्बन्धित प्रशासनिक अनुभाग के विज्ञ अधिकारी भी अभिलेखों सहित सहायक विधि अधिकारी अथवा पैरोकार के साथ अधिवक्ता के समक्ष उपस्थित होगे तथा सहयोग प्रदान करेगें। न्यायालयों में निगम की ओर से प्रतिशपथपत्र/जवाबदावा सहायक विधि अधिकारी के परीक्षणोंपरान्त ही दाखिल की जायेगी। यदि प्रतिशपथपत्र/जवाबदावा अथवा पैरवी में लापरवाही की जाती है तो उसके लिए क्षेत्र के सहायक विधि अधिकारी/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक को उत्तरदायी माना जायेगा।

5— वादों में कौन से साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने हैं इसका विनिश्चय सहायक विधि अधिकारी/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (कार्मिक) द्वारा किया जायेगा तथा उनके परामर्श पर प्रशासनिक अनुभाग साक्षी को न्यायालय में उपस्थित कराना सुनिश्चित करेगा। श्रम न्यायालयों में अधिवक्ता एवं सहायक विधि अधिकारी के परामर्श पर सेवा योजक की ओर से समस्त सुसंगत अभिलेखों की छायाप्रतियां दाखिल कराई जायेगी। साक्ष्य की तिथि में सम्बन्धित प्रशासनिक अनुभाग के सहायक अथवा अधिकारी मूल अभिलेख सहित न्यायालय में स्वयं उपस्थित होंगें। प्रकरण से सम्बन्धित मूल पत्रावली विधि अनुभाग में नहीं रखी जायेगी।

6— न्यायालय से निर्णय प्राप्त होते ही निर्णय के अनुपालन में पड़ने वाले व्ययभार सम्बन्धी सूचना सम्बन्धित इकाई से प्राप्त कर सहायक विधि अधिकारी द्वारा अपनी विधिक राय सहित अधिकारों के प्रतिनिधायन के अनुसार, निर्णय के सन्दर्भ में अग्रेतर कार्यवाही हेतु 15 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी का निर्देश प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। सक्षम प्राधिकारी से अनुपालन का निर्देश प्राप्त होने पर निर्णय की प्रति सम्बन्धित प्रशासनिक इकाई को अनुपालनार्थ यथा समय उपलब्ध करा दी जायेगी।

7— अवमानना वादों में प्रतिशपथ पत्र समस्त विपक्षीगणों की ओर से तैयार कराकर दाखिल कराने का दायित्व उसी क्षेत्र का होगा जिससे वाद सम्बन्धित है, भले ही उसमें मुख्यालय अथवा अन्य क्षेत्र/इकाई के अधिकारियों को पक्षकार क्यों न बनाया गया हो। अवमानना वादों में प्रतिशपथ पत्र स्वयं सहायक विधि अधिकारी द्वारा अपनी देख–रेख में अधिवक्ता से सम्पर्क कर तैयार कराई जायेगी तथा पक्षकार बनाये गये अधिकारियों से हस्ताक्षर प्राप्त कर न्यायालय में दाखिल कर सुदृढ़ पैरवी सुनिश्चित की जायेगी।

8— मा0 उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दिल्ली में योजित वादों में पिटीशन, अपील/प्रतिशपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु पूर्व की भांति सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, अजमेरी गेट प्राधिकृत रहेंगें। इसी प्रकार मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में प्रचलित याचिकाओं/वादों में दाखिल किये जाने वाले प्रतिशपथ पत्रे पर हस्ताक्षर करने हेतु क्रमशः सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (कार्मिक) इलाहाबाद एवं बरेली को प्राधिकृत किया जाता है।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाय।

(के0 रविन्द्र नायक)
प्रबन्ध निदेशक